236

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल–462004

कमांक एफ 5–1 /2015/1/8 भोपाल,दिनांक 29/10/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषयः– उच्च न्यायालय के आदेशों का पालन एवं राज्य शासन की ओर से समय पर जवाब प्रस्तुत किए जाने के संबंध में।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह संज्ञान लिया गया है कि उच्च न्यायालय में लंबित कुछ न्यायालयीन प्रकरणों के संबंध में समय पर विभागीय कार्यवाही नहीं हुई है एवं प्रभारी अधिकारियों द्वारा समय पर जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा माननीय न्यायालय के आदेश के पालन में रुचि एवं शीघ्रता नहीं दिखाई गई है।

2/ अतः निर्देशित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित प्रकरणों के संबंध में जैसे ही उच्च न्यायालय से नोटिस/याचिका प्राप्त हो अथवा महाधिवक्ता कार्यालय से फैक्स, पत्र अथवा सूचना प्राप्त हो, प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति संबंधित विभाग/सक्षम अधिकारी द्वारा अतिशीघ्र की जाए।

3/ संबंधित प्रकरण के प्रभारी अधिकारी अविलम्ब प्रकरण की अद्यतन स्थिति एवं सुनवाई की आगामी तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त करें तथा जानकारी प्राप्त कर नियत तिथि से पूर्व माननीय न्यायालय के समक्ष जवाबदावा प्रस्तुत किया जाए।

निरन्तर.....2

5/ यदि किसी प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष नियत तिथि से पूर्व जवाबदावा प्रस्तुत करना संभव न हो तो प्रभारी अधिकारी उसका कारण बताते हुए समय वृद्धि हेतु स्वयं महाधिवक्ता कार्यालय से सम्पर्क कर आवेदन प्रस्तुत करेंगे, परन्तु इस व्यवस्था का उपयोग बार–बार न किया जा कर केवल विशेष परिस्थितियों में एवं ठोस कारण होने पर ही किया जाना चाहिए।

6/ किसी भी प्रकरण में न्यायालयीन आदेश होने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा सक्षम/वरिष्ठ अधिकारी को आदेश से तत्काल अवगत कराया जाए। आदेश के विरूद्ध अपील की जाना आवश्यक होने पर समय–सीमा के भीतर अपील का निर्णय लिया जाए। अपील प्रस्तुत करने में विलंब होने पर अथवा आदेश के पालन में विफल रहने पर अथवा अवमानना याचिका प्रस्तुत होने पर इसके कारणों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभाग द्वारा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध नियमानुसार जॉच/कार्यवाही की जाए।

(एम.के.वार्ष्णेय)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

क्रमांक एफ 5–1/2015/1/8 भोपाल,दिनांक 29/10/2015

प्रतिलिपिः–

1 रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर।
2 रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर/इन्दौर ।
3 सचिव, लोकायुक्त मध्यप्रदेश ,भोपाल
4. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर।
5. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल।
6. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल मध्यप्रदेश, भोपाल।
7. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल।
8. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
9 प्रमुख सचिव/सचिव,मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय म.प्र. भोपाल।
10. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
11. मंत्री/ राज्यमंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल।
12. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल।
13.. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।
14. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
15. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य सूचना आयोग, निर्वाचन भवन, भोपाल।
16. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
17 संयुक्त आयुक्त/उपायुक्त लिटिगेशन, जबलपुर, इन्दौर एवं ग्वालियर।
18. अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग,(समस्त कक्ष)मंत्रालय, भोपाल।
19 महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश जबलपुर/ अतिरिक्त महाधिवक्ता मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर/ इन्दौर, ।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग